

17 जून, 2009 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की बैठक के लिए समेकित एजेंडा

मद संख्या 34.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	राज्य कोड	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
1.	श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड	बरासत, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	आईटीईएस सहित आईटी / ईएच और एसडब्ल्यू	11.35	हां	हां	नया
2.	लिमिटेडलेस प्रापर्टीज लिमिटेड	तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु	तमिलनाडु	मल्टी सर्विसेज	592	नहीं	हां, सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए	8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित किया गया था

मद संख्या 34.2 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज का अनुरोध

मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा नगवाड़ा गांव, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.876 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 12 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज ने संपूर्ण एसईजेड में प्रचालन एवं अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 23 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि यह नोट किया गया कि प्रस्तावित सह विकासक किसी अवसंरचना का विकास नहीं कर रहा है अपितु संपूर्ण एसईजेड के लिए केवल प्रचालन एवं अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करेगा। यह नोट किया गया कि सह विकासक के रूप में आने की बजाय आवेदक को यूनिट के रूप में आना चाहिए। अब प्रस्तावित सह विकासक ने सह विकासक करार में शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया है। शुद्धि पत्र दिनांक 28 फरवरी 2009 अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओगनाज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कंबाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.43.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 8 मई 2009 को अधिसूचित किया गया। मैसर्स कंबाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 6187 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उक्त एसईजेड सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 9 अप्रैल 2008 उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित बहु उत्पन्न एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ए एस कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1537.622 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टाडा, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पन्न एसईजेड अधिसूचित किया गया। मैसर्स एएस कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 50 एकड़ के क्षेत्रफल में रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) के निर्माण द्वारा अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भडूच, गुजरात में विकसित बहु उत्पन्न एसईजेड में सह विकासक के लिए जीआईडीसी का अनुरोध

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भडूच, गुजरात में बहु उत्पन्न एसईजेड 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। जीआईडीसी ने उक्त एसईजेड में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 28 फरवरी 2008 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड 179.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	प्रशासनिक / संपदा कार्यालय	2,000
2.	कामर्सियल कॉम्प्लेक्स	30,000
3.	मल्टीप्लेक्स	2,000
4.	व्यवसाय केन्द्र / सम्मेलन केन्द्र	25,00
5.	कम्युनिटी हाल	1,000
6.	मनोरंजन केन्द्र	500
7.	स्कूल	2,000
8.	गोल्फ कोर्स	20,000
9.	आवासीय / आवासन परिसर / अतिथि गृह / सेवा अपार्टमेंट्स	90,000
10.	हेल्थ क्लब / चिकित्सा केन्द्र / क्लीनिक	3,000
11.	डीजी सेट	600

(ii) बहरामपुर गांव, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 4 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आईटी	1,82,672
2.	फूड कोर्ट	9,900
3.	क्लब / जिम	2,500
4.	रिटेल / कामर्सियल	17,000
5.	युटिलिटीज	6,800
6.	गार्ड हाउस*	500
7.	एसईजेड कार्यालय*	500

* डिफाल्ट गतिविधियों की सूची में सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान की अनुमति है परंतु यह 500 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासीय	33,00
2.	वाणिज्यिक कार्यालय - बीएफएसआई कार्यालय स्थान	1,15,571
3.	सर्विस अपार्टमेंट	16,500

(iii) साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	12,000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	15,000

(iv) गाचीबोली, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गाचीबोली, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.617 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 26 दिसंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	17,000

(v) सेक्टर 30, सिलोखेड़ा गांव, गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा सिलोखेड़ा गांव, गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 12.06 हेक्टेयर और 2.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्रमशः 6 दिसंबर 2006 और 19 मार्च

2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	38,000
2.	कर्मचारियों के लिए आवास	1,07,000

(vi) चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 13.2923 हेक्टेयर और 3.4384 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्रमशः 16 नवंबर 2006 और 19 मार्च 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	17,000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	22,000

(vii) अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनजी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एन जी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 105.5602 हेक्टेयर और 96.8707 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्रमशः 3 मार्च 2008 और 17 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	सुरक्षा कार्यालय, प्रवेश द्वार, एसईजेड के अंदर और चारदीवारी के समानांतर सुरक्षा प्रणाली के साथ वाच टावर	1000 वर्ग मीटर
2.	प्रशासनिक कार्यालय, फौंवारा	1000 वर्ग मीटर
3.	क्लब हाउस, इंडोर और आउटडोर गेम्स एवं जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	10000 वर्ग मीटर
4.	कर्मचारी सुविधाएं जैसे कि एटीएम	100 वर्ग मीटर

5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1000 वर्ग मीटर
6.	कार्यपालक फूड कोर्ट	1000 वर्ग मीटर
7.	अतिथियों, आगंतुकों के लिए पार्किंग तथा रेस्ट रूम के साथ ट्रक पार्किंग, सर्विस स्टेशन, तोल सेतु, बस बे / स्टॉप	10000 वर्ग मीटर
8.	हरित क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए नर्सरी	10000 वर्ग मीटर
9.	पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के प्रयोग की सुविधा	
10.	गहरे ट्यूबवेल तथा रिसाव कूपों के माध्यम से वर्षा जल का पुनर्भरण	
11.	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	1000 वर्ग मीटर
12.	आवासीय	
(क)	सर्विस अपार्टमेंट	3000 वर्ग मीटर
(ख)	1 ^{1/2} बीएचके	100x60 वर्ग मीटर
(ग)	1 ^{1/2} बीएचके	100 x 120 वर्ग मीटर
(घ)	3 बीएचके	50 x 150 वर्ग मीटर
(ड.)	4 बीएचके	20 x 200 वर्ग मीटर
13.	शैक्षिक	
(क)	इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	8000 वर्ग मीटर
(ख)	प्राथमिक स्कूल, कॉलेज	5000 वर्ग मीटर
14.	फायर फाइटर्स के साथ फायर स्टेशन	200 वर्ग मीटर
15.	एयर कंडिशनिंग	
16.	स्वीमिंग पूल	
17.	पावर तथा पावर बैकअप सिस्टम (अपेक्षित क्षमता के डीजी सेट)	
18.	पेट्रोल पंप	3000 वर्ग मीटर
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1000 वर्ग मीटर

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	सुरक्षा कार्यालय, प्रवेश द्वार, एसईजेड के अंदर और चारदीवारी के समानांतर सुरक्षा प्रणाली के साथ वाच टावर	1000 वर्ग मीटर
2.	प्रशासनिक कार्यालय	1000 वर्ग मीटर
3.	पावर तथा पावर बैकअप सिस्टम (अपेक्षित क्षमता के डीजी सेट)	
4.	एयर कंडिशनिंग	
5.	स्वीमिंग पूल	
6.	फूड कोर्ट, कैंटीन	4000 वर्ग मीटर
7.	ट्रक के लिए पार्किंग, रेस्ट रूम के साथ पार्किंग, सर्विस स्टेशन, बस स्टॉप	8000 वर्ग मीटर
8.	हरित क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए नर्सरी	10000 वर्ग मीटर
9.	इलेक्ट्रिक / गैस से चलने वाली बसों के लिए बस स्टॉप	
10.	वेयर हाउस	100000 वर्ग मीटर
11.	सहायक यूनिटें	100
12.	व्यावसायिक कार्यालय	4000 वर्ग मीटर

(viii) अनेकल तालुक, बंगलौर जिला, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स बायोकाॅन लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स बायोकाॅन लिमिटेड द्वारा अनेकल तालुक, बंगलौर जिला, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 35.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 1 अगस्त 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	क्रेच	240.00
2.	व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र	178.43
3.	जिम / हेल्थ क्लब	58.20

मद संख्या 34.4 : मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों में संशोधन

मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की गई :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्ग मीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्ग मीटर में)
1.	सर्विस अपार्टमेंट / होटल	15000 (100 वर्ग मीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे)	15000 (100 वर्ग मीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे)
	सर्विस अपार्टमेंट में निम्नलिखित सहायता सुविधाएं होंगी :		
(क)	स्वीमिंग पूल	150	150

(ख)	मनोरंजन क्लब	500	500
(ग)	जिम	150	150
(घ)	सम्मेलन हाल	500	500
(ङ)	कार्यपालक व्यवसाय केन्द्र	500	500
(च)	फूड कोर्ट	300	300

अब विकासक ने बताया है कि उन्होंने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवेदन किया है क्योंकि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के रूप में उनको अनुमोदित किया गया है। गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान करके अनुमोदन में संशोधन के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.5 : अधिसूचित एसईजेड को विखंडित करने तथा हस्तशिल्प सेक्टर में फर्नीचर की मदों को शामिल करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

130.689 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प सेक्टर के लिए एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को 7 दिसंबर 2007 को का. आ. सं. 2113 (अ) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि वर्तमान में सरकार ने हस्तशिल्प एसईजेड के लिए भूमि की आवश्यकता को घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया है जबकि पहले इसके लिए 100 हेक्टेयर की आवश्यकता होती थी। विकासक ने अनुरोध किया है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट की वर्तमान रुझान के कारण कृपया एसईजेड में अतिरिक्त सेक्टरों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने अनुरोध किया है कि हस्तशिल्प के लिए अधिसूचित 131 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर को आईटी संबद्ध सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जाए। उन्होंने हस्तशिल्प सेक्टर के अंग के रूप में फर्नीचर की मदों को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.6 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

इन मामलों पर फाइल पर विचार किया गया है तथा एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है। यह अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(i) महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जे टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(ii) रोजे का गुज्जर, गुड़गांव जिला, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड के लिए 15 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंटेक्स टावर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

14 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(iii) कृष्णराज पुरम, हुबली, व्हाइटफील्ड, बंगलौर पूर्व, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

8 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(iv) सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(v) सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 16 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एल एंड टी फोनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

15 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(vi) शालिंगनल्लुर, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(vii) रविरियाल गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टार्गेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(viii) झुंड सराय विरान एवं भंगरोला, पटौदी रोड, गुड़गांव में आईटी एसईजेड के लिए 14 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

13 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(ix) भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 6 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

5 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(x) रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए 09 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

8 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xi) मगरपट्टा सिटी, गांव हदाप्सर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड के लिए 21 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

20 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xii) सिपकोट, सिरुसेरी में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xiii) कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

24 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xiv) हाइटेक सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 21 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

20 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xv) थोटलाकोंडा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 16 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

15 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xvi) बहादुरपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 20 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

19 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xvii) गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए डॉ. फ्रेश हेल्थ केवर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xviii) हिंजेवाड़ी, तालुक, मुलसी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 28 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

27 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xix) सिरुसेरी, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

8 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xx) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पैराडिगम लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

8 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xxi) शंकरपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 27 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

26 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xxii) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

8 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xxiii) बेल्लांडूर अमनी काने, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इनफ्रास्ट्रक्चर का अनुरोध

25 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

मद संख्या 34.7 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) नवी मुंबई, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 13.07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 अगस्त 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने कहा है कि हालिया आर्थिक मंदी के कारण आईटी उद्योग भारी दबाव में है। राजस्व के स्रोतों में अवसानीक गिरावट हुई है जिसकी

वजह से अनेक आईटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी विस्तार योजनाओं को आस्थगित कर दिया है या उनमें कटौती की है। आईटी उद्योग के संबंध में अनिश्चितता को देखते हुए विकासक ने उक्त एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि आज तक अधिसूचित एसईजेड में विकास / निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और आज तक उन्हें कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से स्थल का अलग से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है ताकि पुष्टि हो सके कि एसईजेड योजना के तहत विकासक द्वारा कोई इयूटी फ्री लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) रहेजा इनफो सिटी 1, थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के कुछ भाग को विमुक्त करने के लिए मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रहेजा इनफो सिटी 1, थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 20.654 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 जून 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि हालिया आर्थिक मंदी के कारण ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के उनके प्रयास निष्प्रभावी साबित हुए हैं। अनेक ग्राहक, जो एसईजेड में विस्तार करने पर विचार कर रहे थे, विस्तार योजनाओं और व्यय में कटौती करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पीछे हट जाने तथा मंदी की रुझानों के कारण विकासक ने पहले से अधिसूचित क्षेत्रफल से 10.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि आज तक अधिसूचित एसईजेड में विकास / निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और आज तक उन्हें कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से स्थल का अलग से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है ताकि पुष्टि हो सके कि एसईजेड योजना के तहत विकासक द्वारा कोई इयूटी फ्री लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। विकासक ने विमुक्त होने के बाद वचन पत्र, संशोधित मानचित्र तथा सर्वेक्षण संख्या प्रस्तुत किया है। उन्होंने वचन दिया है कि विमुक्त होने के बाद सन्निकटता तथा एसईजेड नियमावली के तहत निर्धारित अन्य मापदंडों का पालन किया जाएगा। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग क्षेत्र एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड द्वारा हजीरा, गुजरात में विकसित इंजीनियरिंग क्षेत्र एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 247.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 28 सितंबर 2006

को अधिसूचित किया गया था। 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में क्षेत्रफल को संशोधित करके 218.4258 हेक्टेयर किया गया। अब विकासक ने उक्त एसईजेड में 13.3283 हेक्टेयर शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। उप समाहर्ता तथा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सूरत का प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें प्रमाणित किया गया है कि विकासक 13.3283 हेक्टेयर विधिक एवं भारमुक्त भूमि का कब्जाधारक है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 19 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने उक्त एसईजेड में 63.70 हेक्टेयर शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने मानचित्र के साथ प्रस्तावित भूमि के लिए सूचकांक 2 प्रस्तुत किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.8 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को शामिल करके क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स बैंगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बैंगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। उक्त एसईजेड 11.31 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 11 जुलाई 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने वर्तमान सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.9 : हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का लोकेशन परिवर्तित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तातियानारम गांव, हयातनगर, जिला रंगा रेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 12 जुलाई 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 30 जुलाई, 2007 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। इसके बाद

औपचारिक अनुमोदन 22 अगस्त 2007 को मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के नाम में अंतरित किया गया। अब विकासक ने निवेदन किया है कि उन्होंने अपने नाम में भूमि अंतरित कराने के लिए एपीआईआईसी को आवश्यक भुगतान करने का वचन दिया है परंतु कुछ कानूनी बाधाओं के कारण भूमि का अंतरण नहीं हो सकता है। इस बीच एपीआईआईसी ने चरण 3, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, कराकपट्टला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। विकासक ने यह भी बताया है कि चूंकि वे मानते हैं कि नई भूमि एसईजेड परियोजना के लिए उपयुक्त होगी और चूंकि यह जैव प्रौद्योगिकी पार्क के अंदर है इसलिए उन्होंने भूमि आवंटित करने के लिए एपीआईआईसी को आवेदन किया। अब उक्त भूमि आवंटित हो गई है तथा विकासक को उसका कब्जा मिल गया है, विकासक ने लोकेशन में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है। उपर्युक्त एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.10 : साइबर सिटी एसईजेड, गुड़गांव से प्रस्तावित मेट्रो कोरिडोर का मार्ग प्रदान करने की अनुमति देने के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने अनुरोध किया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड) और आईटीएनएल ईएनएसओ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (आईईआरएस), आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इंडिया लिमिटेड (आईटीएनएल) और डीएलएफ के कंसोर्टियम द्वारा सार्वजनिक - निजी साझेदारी के माध्यम से सिकंदरपुर से एनएच-8 तक मेट्रो कोरिडोर का निर्माण करने का प्रस्ताव है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि मेट्रो कोरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा और एसईजेड से गुजरेगा। कोरिडोर का संदर्भगत नक्शा अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है। मेट्रो रेल, गुड़गांव ने मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड से अनुरोध किया है कि सिकंदरपुर से एनएच 8 तक मेट्रो कोरिडोर के लिए एसईजेड क्षेत्र के अंदर 5 से 6 पियर का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा है कि पियर के निर्माण की लागत पूरी तरह कंसोर्टियम द्वारा वहन की जाएगी तथा एसईजेड नीति के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चूंकि कोरिडोर एलिवेटेड होगा, इसलिए जिस भूमि पर पियर का निर्माण होगा वह डीसीसीडीएल के स्वामित्व में बनी रहेगी। निर्माण प्रक्रिया के दौरान कोरिडोर के दोनों ओर बैरिकेड लगे होंगे। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मेट्रो ट्रेक के नीचे आना जाना संभव होगा, अतः भूमि की सन्निकटता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 12 मई 2009 के अपने पत्र में मेट्रो रेल गुड़गांव ने कहा है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद एसईजेड से होते हुए लोगों या सामग्रियों का कोई मूवमेंट नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि चूंकि यह परियोजना हरियाणा सरकार से अनुमोदन के उन्नत चरण पर है,

इसलिए उन्होंने साइबर सिटी एसईजेड से होते हुए प्रस्तवित मेट्रो कोरिडोर को गुजरने देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश / मानदंड 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए। बहु उत्पन्न एसईजेड से संबंधित दिशानिर्देश नीचे पुनः प्रस्तुत हैं :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
बहु उत्पन्न	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन एक साल के लिए मान्य है तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनिवार्य अधिग्रहण को निषिद्ध करने के संबंध में ईजीओएम के निर्णय के आलोक में, तीन साल की अवधि के अंदर 1000 हेक्टेयर सन्निकट भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो सकता है। बहु उत्पन्न एसईजेड के मामले में तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड ने संगत नियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सके।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में, तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विकास का नाम, एसईजेड का लोकेशन तथा क्षेत्रफल	क्षेत्र	अनुमोदन का ब्यौरा	भूमि पर कब्जे की स्थिति
मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड	बहु उत्पन्न	सैद्धांतिक अनुमोदन 17 जनवरी 2006 को प्रदान किया गया था।	63.5 प्रतिशत

केमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर, राजस्थान, 1000 हेक्टेयर	16 जनवरी 2007 तक मान्य था। 16 जनवरी 2009 तक दो बार अवधि बढ़ाई गई।
---	---

इस मामले में 50 प्रतिशत भूमि पर कब्जा की शर्त पूरी हो रही है। एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 6 (2) जो अधिक से अधिक दो साल की अवधि तक समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है, में संशोधन को अलग से प्रोसेस किया जा रहा है। इसलिए विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.12 : बंधवारी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स ओरियन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में विलंब को माफ करना और डेढ़ साल की अवधि के लिए दूसरी बार समय बढ़ाना

मैसर्स ओरियन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंधवारी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंधवारी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 07 अप्रैल 2006 को एलओए जारी किया गया था। 7 अप्रैल 2008 तक एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाई गई थी।

2. वैधता अवधि समाप्त होने के 20 दिन बाद दूसरी बार सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक से अनुरोध प्राप्त हुआ। सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के मामले पर 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड, जहां न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है, के संबंध में दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। तथापि, वर्तमान मामले में एसईजेड 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह द्वितीय श्रेणी में आता है जहां दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए 60 प्रतिशत भूमि पर विकासक का कब्जा होना चाहिए। विकासक के अनुरोध से देखा जा सकता है कि विकासक का समूची भूमि पर कब्जा है और ऐसी स्थिति में वह औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है।

3. चूंकि विकासक ने वैधता अवधि समाप्त होने के 20 दिन बाद आवेदन किया है इसलिए विलंब को माफ करने के लिए अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है तथा प्रस्ताव को जिंदा रखने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीन साल के बाद अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.13 : प्लाट नंबर 3, सेक्टर 143 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डायमंड साफ्टवेयर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

मैसर्स डायमंड साफ्टवेयर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लाट नंबर 3, सेक्टर 143 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 22 सितंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 27 फरवरी, 2009 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। विकासक ने निवेदन किया है कि कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को प्लाट लौटा दिया है तथा 10 फरवरी 2009 को निष्पादित विलेख वापस कर दिया है। उपर्युक्त प्लाट का कब्जा भी 10 फरवरी 2009 को नोएडा प्राधिकरण को वापस कर दिया गया। औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए उनके अनुरोध पर फाइल पर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया। मामला अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या 34.14 : अधिकृत प्रचालनों के संबंध में गतिविधियों / यूटिलिटीज के अनुमोदन के लिए मैसर्स सीरम बायो फार्मा पार्क एसईजेड, पुणे में सह विकासक मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

पुणे में मैसर्स सीरम बायो फार्मा पार्क एसईजेड द्वारा बायोटेक एवं फार्मा क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र 23.1793 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 29 दिसंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया। सह विकासक का दर्जा प्रदान करने वाला पत्र 16 अगस्त 2007 को जारी किया गया।

उपलब्ध स्थान और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा प्रभावी औद्योगिक अवसंरचना और यूटिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए सह विकासक ने एसईजेड की यूनिटों को केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित औद्योगिक यूटिलिटी तथा अवसंरचना सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

1. 75 टन प्रति घंटा रॉ स्टीम का उत्पादन एवं वितरण
2. 25 टन प्रति घंटा प्योर स्टीम का उत्पादन एवं वितरण
3. 2000 घन फीट प्रति मिनट कंप्रेसड एयर का उत्पादन एवं वितरण
4. 60 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा पानी का शुद्धीकरण और शुद्ध जल का वितरण
5. 10000 घन मीटर प्रति घंटा पेयजल का भंडारण एवं वितरण

6. 36000 लीटर प्रति घंटा इंजेक्शन के लिए डिस्टिल्ड वाटर का उत्पादन एवं वितरण
7. 72000 किलोवाट प्रति घंटा हॉट वाटर का उत्पादन एवं वितरण
8. नाइट्रोजन गैस का भंडारण एवं वितरण
9. एलपीजी गैस का भंडारण एवं वितरण
10. बहिःस्त्रावी शोधन सुविधा
11. साफ सफाई सेवा तथा पर्यावरण को जीवाणु मुक्त रखने की सेवाएं

स्थानीय अनुमोदन समिति द्वारा आरंभिक प्रारंभिक अनुमोदन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। यह अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.15 : एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स प्रिंसीजन पोलिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

मैसर्स प्रिंसीजन पोलिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड यूनिट को प्लास्टिक फ्लोर, रिप्रोसेस्ड फ्लोर, स्वीपिंग ग्रैन्यूल्स / रिप्रोसेस्ड प्लास्टिक एग्लोमरेट्स के निर्माण और निर्यात के लिए 18 दिसंबर 1996 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने दो जून 1998 को उत्पादन आरंभ किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र ने सूचित किया है कि यूनिट ने प्रचालन के पांच वर्षों का पहला ब्लाक पूरा कर लिया है। दूसरे ब्लाक के लिए एलओपी 2 जून 2003 से नवीकृत किया गया। यूनिट ने अगले 5 वर्षों के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया। बोर्ड ने एक साल के लिए अवधि बढ़ाई जो 2 जून 2009 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए यूनिट ने अगले एक साल के लिए एलओपी के विस्तार के लिए आवेदन किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र ने कहा है कि यूनिट ने संचयी रूप में सकारात्मक एनएफई प्राप्त की है। 2 जून 2008 से 5 वर्षों के लिए विदेश व्यापार निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1.	निर्यातों का एफओबी मूल्य	20448 लाख रुपए
2.	आयातित सीजी का सीआईएफ मूल्य	शून्य
3.	आयातित आरएम और कंपोनेंट का सीआईएफ मूल्य	17280 लाख रुपए
4.	आयातित स्पेयर और उपभोज्य वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य	शून्य
5.	लाभांशों का प्रत्यर्पण	शून्य
6.	भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर भुगतान	शून्य
7.	विदेश यात्रा	12 लाख रुपए
8.	निर्यात पर कमीशन	शून्य
9.	कोई अन्य भुगतान	शून्य
10.	एनएफई अर्जन	3108 लाख रुपए

5 वर्षों के तीसरे ब्लाक में प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान अर्थात् जून 2008 से मार्च 2009 तक यूनिट ने 10.41 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया है [नियम 53 ए(एन) के अनुसार

ईईएफसी लेखा में डीटीए बिक्री द्वारा]। इस यूनिट में 800 अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं जिसमें से 60 प्रतिशत से अधिक कामगार महिलाएं हैं।

एसईजेड नियमावली के नियम 18(4) (क) के अनुसार, प्लास्टिक स्क्रेप / अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल यूनिटों के एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एसईजेड में प्लास्टिक यूनिटों के मंजूरी पत्रों के नवीकरण के मुद्दे पर 16 मई 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें यह नोट किया गया कि इन यूनिटों के लिए मंजूरी पत्र की अवधि इस तथ्य के आधार पर बढ़ाई जा रही है कि इन यूनिटों में कर्मचारियों के हजारों परिवार इन यूनिटों पर आश्रित हैं।

फाल्टा एसईजेड ने कहा है कि चूंकि यह उद्योग अग्नि प्रवण है इसलिए सिफारिश की जाती है कि यूनिट की वार्षिक उत्पादन क्षमता को 36000 मीट्रिक टन की मौजूदा क्षमता से घटाकर अब 24000 मीट्रिक टन किया जाए। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 34.16 : सह विकासक के अनुमोदित हो चुके प्रस्तावों के संबंध में सह विकासक करार प्रस्तुत करना (23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक की मद संख्या 6)

(i) सिलोखेड़ा, गुड़गाव, हरियाणा में डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) रामापुरम, चेन्नई में इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक की आस्थगित मद संख्या 5 (vi) से (ix) - सह विकासक के लिए अनुरोध

(v) सिलोखेड़ा, डीएलएफ सिटी गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) सेक्टर 24 और 25 ए, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) रामापुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सह विकासकों के पहले चार अनुरोध आस्थगित कर दिए गए थे क्योंकि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि ये प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित हो गए हैं और काफी समय बीत जाने के बाद पिछले अनुमोदनों में संशोधनों को अब फाइल किया जा रहा है। यदि करारों में सारवान परिवर्तन किए जाते हैं तो नए अनुमोदन की मांग की जा सकती है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया और निर्णय लिया कि इन मामलों की फाइल पर जांच की जा सकती है। सह विकासकों ने संशोधित करार फाइल कर दिया है। अनुमोदन बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर इनकी फाइल पर जांच की गई। सीबीडीटी की टिप्पणियां भी आमंत्रित की गईं। जांच के अनुसार, वाणिज्य विभाग तथा सीबीडीटी द्वारा प्रस्तावों को नियमानुसार पाया गया। सीबीडीटी ने सभी चार प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की तथा यह शर्त रखी कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का प्रचलित आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पैमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। मामला अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उसी विकासक अर्थात मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड के संबंध में सह विकासकों के अन्य चार प्रस्तावों को भी 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित किया गया था क्योंकि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया था कि सह विकासक करार में विलेखों को अंतरित करने एवं सौंपने का उल्लेख है, जो यह कहता है कि सह विकासक विकास शुल्क के भुगतान पर एसईजेड भवनों का स्वामी होगा जो एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की भावना के विपरीत है।

अब सभी प्रस्तावों को संशोधित किया गया है। संशोधित करारों के अनुसार विकासक सह विकासक के पक्ष में 30 साल का पट्टा तैयार करेगा। सह विकासक एसईजेड के अंदर विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाओं का विकास करेगा, प्रचालन करेगा और अनुरक्षण करेगा। प्रस्तावों की विभाग में भी जांच की गई। यह पाया गया कि सभी आठ करार एक जैसे हैं। चूंकि सीबीडीटी ने पिछले चार प्रस्तावों के लिए सहमति प्रदान की है, इसलिए प्रस्ताव है कि शेष चार प्रस्तावों को भी डिस्कलेमर के साथ मंजूरी प्रदान की जाए। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।